



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

No. 1411 /ED(HR)/UPCL/Section-I/Apprenticeship

Date: 31/03/2026

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा, निम्नलिखित अप्रेंटिस शिक्षुओं (डिग्रीधारी/डिप्लोमा) को दिनांक 31.03.2026 से दिनांक 30.03.2027 तक एक वर्ष के लिए उपाकालि में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निम्न सारणीनुसार तैनात किया जाता है:-

S. No.	Applicant Name	Student ID	Qualification Type	Place of Posting
1	ADITYA PAL	AUKDD5626492	DIPLOMA	EDD Rishikesh
2	AMISHA NEGI	AUKTG5677012	GRADUATE	EDD Srinagar
3	ANAS	AUKHA6873542	DIPLOMA	EDD Roorkee (Rural)
4	ANJALI	AUKDD6402978	DIPLOMA	EDD Dehradun (North)
5	ARISH	AUKHA6417613	DIPLOMA	EDD Roorkee (Urban)
6	ESHIKA	AUKDD6323556	DIPLOMA	EDD Dehradun (Central)
7	GAUTAM PANWAR	AUKUT6723168	DIPLOMA	EDD Uttarkashi
8	MUHAMMAD FAREED ALAM	AUKHA6857938	DIPLOMA	EDD Ramnagar, Roorkee
9	NAVNEET ACHAL	AUKDD6538941	GRADUATE	EDD Dehradun (Raipur)
10	NIKHIL GUSAIN	AUKPG6122206	DIPLOMA	EDD Srinagar
11	PREM SINGH	AUKCL6875961	DIPLOMA	EDD Gopeshwar
12	PRITAM SINGH	AUKRP5121355	DIPLOMA	EDD Rudraprayag
13	RAJAN DEV SINGH	AUKHA6382125	GRADUATE	EDD Bhagwanpur
14	SHEETAL	AUKUT6554862	DIPLOMA	EDD Uttarkashi

- शिक्षुओं का कार्र्योजन पूर्णतः 'शिक्षु अधिनियम 1961 यथासंशोधित अधिनियम 1973 एवं 1986 और शिक्षुता नियम-1992 (वर्तमान तक संशोधित)' के प्रावधानों एवं शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन शासित होगा।
- 14 अप्रेंटिस शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि दिनांक 31.03.2026 से दिनांक 30.03.2027 तक कुल 12 माह की रहेंगी तथा दिनांक 30.03.2027 को प्रशिक्षण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
- खण्डीय/सम्बन्धित कार्यालय द्वारा यदि दिनांक 30.03.2027 के पश्चात् इन शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि आगे बढ़ायी जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी की होगी।
- अप्रेंटिस शिक्षुओं द्वारा तैनाती आदेश निर्गत होने की तिथि के अगले कार्यदिवस में नवतैनाती कार्यालय में अपनी उपस्थिति अवश्यमेव दर्ज करानी होगी।
- दिनांक 31.03.2026 एवं 01.04.2026 को उपर्युक्त प्रशिक्षु मुख्यालय में उपस्थित थे तथा दोनों कार्यदिवस को सम्मिलित करते हुए stipend धनराशि का भुगतान सम्बन्धित तैनाती कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) योजना के तहत बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप द्वारा निर्धारित प्रतिमाह की stipend धनराशि के अन्तर्गत डिग्रीधारी अप्रेंटिस शिक्षुओं को प्रतिमाह stipend की 50 प्रतिशत धनराशि रु4500 एवं डिप्लोमा अप्रेंटिस शिक्षुओं को प्रतिमाह stipend की 50 प्रतिशत धनराशि रु4000 का भुगतान सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय द्वारा शिक्षुओं के नेट्स पोर्टल पर पहले से ही अपलोड बैंक खाते (Aadhaar seeded Bank Account) में किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी खण्डीय कार्यालय को शिक्षुओं के बैंक खाते को परिवर्तित किये जाने का अधिकार नहीं होगा।


7. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके नियन्त्रणाधीन प्रशिक्षण हेतु तैनात किये गये शिक्षुओं का प्रतिमाह उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरण एवं भुगतान किये गये stipend धनराशि का सम्पूर्ण ब्यौरा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रत्येक माह की 2 तारीख तक मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा इस कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को ई0मेल hrtraining.upcl@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे जिससे की stipend की शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान शिक्षुओं को बोर्ड ऑफ अप्रैन्टिसशिप के स्तर से किया जा सके।
8. बिन्दु सं0-7 के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (वितरण), अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत (नियन्त्राधीनसम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता अथवा सहायक अभियन्ता) एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम, तैनाती कार्यालय एवं सम्पर्क विवरण की सूचना इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित नोडल अधिकारी अपने सम्बन्धित क्षेत्रान्तर्गत सभी कार्यालयों के प्रशिक्षुओं के प्रतिमाह के उपस्थिति/अनुपस्थिति एवं भुगतान का विवरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रत्येक माह की 2 तारीख तक समस्त प्रशिक्षुओं की सूचना संकलित कर इस कार्यालय को ई0मेल hrtraining.upcl@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं भविष्य में कारपोरेशन द्वारा यदि इन अप्रैन्टिस प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित कोई भी विवरण/सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा कि आदेशों की अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
9. अप्रैन्टिस शिक्षुओं द्वारा त्रैमासिक कार्य-प्रगति आख्या अपने नियन्त्रक अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा मुख्यालय द्वारा मांगे जाने की स्थिति में नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कार्यालय-निदेशक (मा0सं0), उपाकालि को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. 12 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही यदि किसी अप्रैन्टिस शिक्षु द्वारा प्रशिक्षण समाप्त किये जाने हेतु अनुरोध/आग्रह किया जाता है अपितु प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ा जाता है तो नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि सर्वप्रथम इसकी पूर्ण जानकारी कार्यालय-अधिशासी निदेशक (मा0सं0), उपाकालि को उपलब्ध करायी जाये, ताकि इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही मुख्यालय स्तर से समय से की जा सके।
11. उक्त तैनाती आदेश इस प्रतिबन्धाधीन निर्गत किये जायेंगे कि बोर्ड ऑफ अप्रैन्टिसशिप द्वारा अन्तिम अनुमोदन प्रदान करते समय यदि किसी शिक्षु के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है तो contract creation की तिथि से सम्बन्धित शिक्षु का एक वर्षीय अप्रैन्टिस प्रशिक्षण स्वतः समाप्त समझा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में stipend धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

**अधिशासी निदेशक (मा0सं0)**

**No. 1411 - ED(HR)/UPCL/ Section-I/Apprenticeship/ of dated**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ ऑफिसर-1, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक (मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव-निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त) उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय अधिशासी निदेशक (मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल/हरिद्वार, उपाकालि को बिन्दु सं0-08 के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए विवरण/सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि।
6. अधिशासी अभियन्ता (का0मं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



(जितेंद्र सिंह)

**उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)**